



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-30092026-276644
CG-DL-E-30092026-276644

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5160]

नई दिल्ली, बुधवार, सितम्बर 30, 2026/आश्विन 8, 1948

No. 5160]

NEW DELHI, WEDNESDAY, SEPTEMBER 30, 2026/ASVINA 8, 1948

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना
नई दिल्ली, 30 सितंबर, 2026
(आयकर)

का.आ. 5368(अ).— आयकर अधिनियम, 2025 की धारा 238 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना संख्या का.आ. 359, दिनांक 30 मार्च, 1988, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करता है, यथा: -

उक्त अधिसूचना में, -

i. खंड (खक) के स्थान पर निम्नलिखित खंड प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

"(खक) आयकर के संयुक्त आयुक्त (अपील) या आयकर के अपर आयुक्त (अपील) आयकर के उन प्रधान मुख्य आयुक्तों या आयकर के मुख्य आयुक्तों के अधीनस्थ होंगे जिनके अधिकार क्षेत्र में वे अपने कार्य करते हैं।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होगी।

[अधिसूचना सं. 133/2026 फा. सं. 300187/1/2026-आईटीए-1]

हरदेव सिंह, अवर सचिव

नोट: मुख्य अधिसूचना भारत के राजपत्र, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 359, दिनांक 30 मार्च, 1988 के तहत प्रकाशित की गई थी और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 41/2023, जिसे का. आ. 2625 (अ), दिनांक 14 जून, 2023 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)
(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2026

(INCOME TAX)

S.O. 5368(E).— In exercise of the powers conferred by section 238 of the Income-tax Act, 2025, the Central Board of Direct Taxes hereby makes the following further amendments to the Notification of the Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes, *vide* number S.O. 359, dated the 30th March, 1988, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), namely:—

In the said notification, -

- i. for clause (ba), the following clause shall be substituted, namely:-

"(ba) Joint Commissioners of Income-tax (Appeals) or Additional Commissioners of Income-tax (Appeals) shall be subordinate to the Principal Chief Commissioners of Income-tax or Chief Commissioners of Income-tax within whose jurisdiction they perform their functions."

2. This notification shall come into force from the date of publication in the Official Gazette.

[Notification No. 133 / 2026 F. No. 300187/1/2026-ITA-I]

HARDEV SINGH, Under Secy.

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 359, dated the 30th March, 1988 and was last amended by notification number 41/2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, section 3, sub-section (ii), *vide* number S.O. 2625(E), dated the 14th June, 2023.